यू०पी०—२ (४) सेटेलमेन्ट—१९६३—१,००,३००

नाम खातौनी (भूतपूर्व) ग्राम ... पट्टी ... परगना ... तहसील ... जिला ...

खाता संख्या	भूमिधर (खातौनी) खाता की क्र० सं०	खातेदार या काबिज का नाम पितृनाम तथा निवास-स्थान	हस्तान्तरण या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	चेकबन्दी नाली मुट्ठी में	नाम तौक	गैर मजरूआ शामिल जोत	मालगुजारी अथवा लगान (रोड सिस्तान दो)	मेम	मालियाना	मालगुजारी	किस्म जमीन: तौल	बसरात: उत्तम	मध्यम	निकृष्ट	बाग	ताल	सिंचाई: आबपाशी	गैर आबपाशी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
				२३७	१	[illegible]														
				३२२	॥	॥														
				३२६	३।	[illegible]														
				३२९५	३१॥	॥														
				३३२०	१	॥														
				३३२४	१	॥														
				३३३३	३६३	॥														
				३३४३	॥	॥														
				३३८२	१	॥														
				३३६८	३।	॥														
				३५५४	५०	॥														
				३४०४	४॥	॥														
				३४१४	४॥	॥														
				३४६४	॥	॥														
				३४६९	४॥	॥														
				३४८४	॥	॥														
				३४४९	१	॥														
				३५०४	॥	॥														
				३५३४	४।	॥														
				३५३३	॥	॥														
				३५३८	॥	॥														
				३५४४	॥	॥														
				३५४९	॥	॥														
				३५५८	॥	॥														
				३५८२	३४॥	॥														
				३५८३	४।	[illegible]														

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के आदेश सं० 3466/20 प्रकाश खीकृत दि० 27.11.2015 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी महोदय (ना०) पौड़ी के पत्र सं० 88/20 को 2015-16 (61) 2015 व शासनादेश सं० 0207/X-11(3)/2012-18 (120) 2010 दि० 17.12.2012 के द्वारा निर्गत सरकारी मानकों के तहत, क्षतिपूर्ति राशि रु० 20,000 हे० सिंचित भूमि को मूल निवास के पत्र में मानकानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्रतिवेदन जिलाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। के अनुसार गढ़वाल के अधीन ग्राम फलदाड़ी पट्टी कोटी तहसील 2 के गाटा 20 खसरा 45 के रकबा संख्या 2502 कुल रकबा 7.029 हे० भूमि मध्ये 5.040 हे० भूमि शासन रकबे के अधीन 1.023 बीघा सिंचित वर्ग भूमि को शासन द्वारा आवंटन हेतु वन विभाग के पत्र हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बीघा 4.01 बाबत एवं शेष बीघा 5.44 महोदय पौड़ी के आदेश के अनुपालन में की गयी।

(विद्युत्कुमार)
उपजिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल
22/8/19

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के आदेश सं0 3466/20 प्रशासन स्वीकृत दि0 जून 26, 2015 के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय (वा) पौड़ी के पत्र सं 88/ए0का0 2015- दि0 11/6/2015 व शासनादेश सं0 2173/XVII(2)/2012-18 (120) 2010 डी0 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये, क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण हेतु 20,000 हे0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है। के क्रम में जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम फलहड़ी पट्टी बाली बडांर 2 के मौ0 नं0 2 ए0 खाता 45 के खेत नम्बर 2502 कुल रकबा 7.039 हे0 भूमि मध्ये 5.840 हे0 भूमि आरक्षित वनों के धारा 10(3) 4 भा0 अधिनियम की भूमि को क्षति पूरक के रूप में हस्तान्तरण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सीमा चतुर्दीवारी एवं श्रीमान् 8-ए- महोदय पौड़ी के आदेश के अनुपालन में कार्य किया।

22/8/19

(विजय कुमार पंवार)
प्रा0उ0नि0
ग0क0 II
22/8/19